P-1	R.M.M. Law College - Saharsa.	
	Manvendra Mandal Part time Lecturer	Contract - 1 Part - 1

धारा 7. प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए
(Acceptance Must be absolute)

धारा 7 एक विधिमान्य प्रतिग्रहण की दो अनिवार्य शर्तों का उल्लेख करती है प्रस्थापना को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण -

(i) आत्यन्तिक एवं बिना किसी शर्त का होना चाहिए
(ii) उसे प्राधिकृत और व्युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

(i) प्रतिग्रहण आत्यन्तिक एवं बिना शर्त के होना चाहिए → किसी प्रस्थापना को वचन का रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रतिग्रहण आत्यन्तिक एवं शर्तरहित हो अर्थात प्रत्यापना को बिना किसी फेरफार के उसी रूप में और उन्हीं शर्तों के साथ प्रतिगृहीत किया जाना चाहिए जो कि उसमें निहित है। जब तक कोई प्रतिग्रहण आत्यन्तिक नहीं होता, तब तक यह माना जाता है कि वार्तालाप का दौर चल रहा है और पक्षकारों के बीच कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हुए हैं।

उदाहरणार्थ- क अपनी एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने की ख से प्रत्यापना करता है। ख उसे 200 रुपये में लेने को तैयार हो जाता है यह मान्य एवं आत्यन्तिक प्रतिग्रहण है। लेकिन ख यदि उसे 150 रुपये में खरीदने की बात कहता है तो यह प्रतिग्रहण आत्यन्तिक नहीं होगा।

एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ पक्षकारों के बीच शर्तों पर सहमति नहीं हुई हो वहाँ संविदा पूर्ण, बाध्यकर एवं

Scanned with CamScanner

P-2 | धारा-7 प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए

प्रवर्तनीय नहीं मानी जा सकती।

मिली-जुली प्रस्थापना — मिली-जुली प्रस्थापना में, जिसमें उसका हर एक भाग एक दूसरे पर निर्भर हो; यदि उसके किसी एक भाग को प्रतिगृहीत किया जाता है तो ऐसा प्रतिग्रहण absolute नहीं होगा।

प्रति-प्रस्थापना — प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण के सम्बन्ध में एक प्रचलित शब्द है- प्रति-प्रस्थापना। जब किसी प्रस्थापना को फेरफार अथवा परिवर्तन के साथ प्रतिगृहीत किया जाता है, तो यह प्रति-प्रस्थापना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, मूल प्रस्थापना का प्रतिक्षेपण प्रति-प्रस्थापना है। ऐसी प्रति-प्रस्थापना को संविदा का रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उसे मूल प्रस्थापना द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाय। प्रति-प्रस्थापना के निम्नांकित महत्वपूर्ण उदाहरण हैं-

(i) अच्छे जौ या गेहूँ के विक्रय की प्रस्थापना को इस शर्त के साथ प्रतिगृहीत किया जाना कि खराब जौ या गेहूँ का परिदान किया जायगा।

(ii) चावल के विक्रय की प्रस्थापना को इस शर्त के साथ प्रतिगृहीत किया जाना कि पीले और भीगे हुए चावल स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(iii) बीमे के लिए प्रस्थापना के प्रतिग्रहण को इस शर्त के साथ प्रतिगृहीत किया जाना कि वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि प्रथम प्रीमियम का संदाय नहीं कर दिया जाता। आदि

अस्थायी प्रतिग्रहण — किसी प्रस्थापना का अस्थायी प्रतिग्रहण absolute नहीं होता। नीलाम विक्रय में एक बोली के अस्थायी प्रतिग्रहण को आत्यन्तिक (absolute) नहीं माना गया। इस सम्बन्ध में स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम हरिनारायण जायसवाल का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नीलाम द्वारा विक्रय में बोली का अस्थायी प्रतिग्रहण नहीं होता।

P-3 धारा-7 प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए।

(2) प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त किया जाना → इस धारा के खण्ड (2) में प्रतिग्रहण की रीतियों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार

(i) जहाँ प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण की किसी विशेष रीति का उल्लेख किया गया हो, वहाँ उसे उसी रीति से किया जाना चाहिए + एवं

(ii) जहाँ ऐसी किसी रीति का उल्लेख नहीं हो वहाँ उसे प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ- यदि प्रस्थापना में यह कहा गया हो कि उसके प्रतिग्रहण की संसूचना तार द्वारा दी जाय तो ऐसी संसूचना तार द्वारा ही दी जानी चाहिए। डाक द्वारा दी गई संसूचना से संविदा का गठन नहीं होगा। लेकिन ऐसी किसी विहित रीति के अभाव में संसूचना मौखिक रूप से शब्दों द्वारा या लिखित में या आचरण द्वारा की जा सकती है। यह इसका प्रायिक और युक्तियुक्त तरीका है। यदि प्रतिग्रहण प्रस्थापना में विहित रीति में न किया जाकर किसी अन्य रीति से किया जाता है तो प्रस्थापक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रतिग्रहण को विहित रीति में किये जाने के लिए आग्रह कर सकता है। 'युक्तियुक्त समय' क्या है, यह एक तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

प्रतिग्रहण का युक्तियुक्त समय में किया जाना— प्रतिग्रहण का युक्तियुक्त समय में किया जाना भी आवश्यक है। ऐसा तब आवश्यक है जब प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया हो। किसी भी प्रस्थापना के प्रतिग्रहण को अनिश्चित समय के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner